

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1857/2012/झुझुनूँ
2. अपील संख्या – 1858/2012/झुझुनूँ

वाणिज्यिक कर अधिकारी
झुझुनूँ

अपीलार्थी

बनाम

मेसर्स एन.के.फर्नीचर एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स
झुझुनूँ

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित ::

श्री डी.पी.ओझा,
उप-राजकीय अभिभाषक
श्री वी.सी.सोगानी,
अभिभाषक

....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 20.02.2014

निर्णय

1. ये दोनों अपीलें वाणिज्यिक कर अधिकारी, झुझुनूँ (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) की ओर से उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत क्रमशः अपील संख्या 135 व 136ए/झुझुनूँ/ 2011-12 में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 28.02.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। उपरोक्त दोनों अपीलों में विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जाकर निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

2. प्रकरणों के संक्षिप्त इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी फर्म का दिनांक 13.04.2010 को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण करने पर फर्म के मैनेजर एवं दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में किया गया तथा मौके पर पाये गये कतिपय दस्तावेजों को सत्यापन के अभाव में अभिग्रहीत किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने वर्ष 2009-10 में कुल की गई बिक्री रु. 16,46,658/- अवधारित करके उसमें 10 प्रतिशत लाभांश जोड़कर कुल रु. 18,11,324/- मानते हुए उस पर 14 प्रतिशत की दर से कर रु. 2,53,585/- आरोपित किया एवं अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत ब्याज रु. 30,430/- तथा करापवंचन के अपराध में अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत कर की दुगुनी शास्ति रु. 5,07,170/- आरोपित किया साथ ही नियमित रिकार्ड नहीं रखने के अपराध में अधिनियम की धारा 59 के अन्तर्गत रु. 1000/- की शास्ति आरोपित करते हुए कुल रु. 7,92,785/- की मांग कायम की।

3. इसी प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2010-11 में उचन्ति माल की, की गई बिक्री रु. 8,36,937/- अवधारित करके उस पर 14 प्रतिशत की दर से कर रु.

1,17,171/- आरोपित किया एवं अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत ब्याज रु. 12,889/- तथा करापवंचन के अपराध में अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत कर की दुगुनी शास्ति रु. 2,34,343/- आरोपित किया एवं सर्वेक्षण के समय पाये गये माल कीमत रु. 2,17,267/- में 10 प्रतिशत लाभांग जोडते हुए कुल बिक्री रु. 2,38,924/- मानते हुए 14 प्रतिशत से कर रु. 33,449/- आरोपित किया तथा अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत कर की दुगुनी शास्ति रु.66,898/- आरोपित करते हुए, नियमित रिकार्ड नहीं रखने के अपराध में अधिनियम की धारा 59 के अन्तर्गत रु. 1000/- की शास्ति आरोपित करते हुए कुल रु. 4,35,979/- की मांग कायम की।

4. उक्त प्रकार से सृजित मांग राशि के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपीलाधीन संयुक्त आदेश दिनांक 28.02.2012 पारित कर सृजित मांग राशियों को अपास्त करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिया।

5. अपीलार्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी फर्म का सर्वेक्षण दिनांक 13.04.2010 को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा फार्म के मैनेजर एवं दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में किया जाकर कतिपय दस्तावेजों के सत्यापन के अभाव में उन्हें अभिग्रहीत किया गया। उनका कथन है कि अभिग्रहीत किये गये दस्तावेजों के सत्यापन हेतु प्रत्यर्थी व्यवहारी को बार बार नोटिस दिये जाने के पश्चात उसके उपस्थित नहीं होने पर अभिग्रहीत रिकार्ड की ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर कर, शास्ति एवं ब्याज का आरोपण करते हुए वर्ष 2009-10 के लिए रु 792785/- एवं 2010-11 के लिए रु.4,69,428/- की मांग सृजित की गई है, जो पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए सृजित मांग राशियों को अपास्त करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये गये हैं, जो अविधिक है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अनुमान के आधार पर बिक्री अवधारित करते हुए कर, ब्याज शास्तियाँ आरोपित की है, जो अविधिक है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी को सुने बिना ही मनमाने ढंग से बिक्री अनुमानित की है, जिसका कोई आधार आदेश में नहीं दिया है। उनका कथन है कि इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विद्वान अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग राशियों को अपास्त करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है, जो पूर्णतः उचित है। उन्होंने अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए राजस्व की ओर से प्रस्तुत की गई अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।

7. उभय पक्षों की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों से ज्ञात होता है कि सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरुद्ध अभियोग बनाया जाकर अभियोग पत्रावली वाणिज्यिक कर अधिकारी,प्रतिकरापवंचन,झुञ्जुनू को एवं तत्पश्चात उपायुक्त(प्रशासन) वाणिज्यिक कर,बीकानेर के आदेश दिनांक 20.10.2010 की पालना में कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित की गई। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बनाये गये अभियोग की सुनवाई हेतु प्रत्यर्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये, किन्तु प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा तैयार एकपक्षीय अंकेक्षण एवं सत्यापन रिपोर्ट को आधार मानते हुए निम्न प्रकार से करारोपण किया गया :-

7.1 वर्ष 2009-10 :-कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की कुल खरीद रु. 16,36,658/- अवधारित करते हुए उसमें 10 प्रतिशत लाभांश जोडकर कुल अनुमानित बिक्री रु. 18,11,324/-मानते हुए उस पर 14 प्रतिशत की दर से कर रु.2,53,585/-आरोपित किया गया तथा धारा 55 के अन्तर्गत ब्याज रु. 30,430/- एवं करारोपण के अपराध में धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति रु. 5,07,570/-आरोपित की गई। इसके अतिरिक्त नियमित रिकार्ड नहीं रखने के अपराध में धारा 59 के अन्तर्गत 1000/-की शास्ति आरोपित करते हुए कुल रु. 7,92,785/-की मांग सृजित की गई।

7.2 वर्ष 2010-10 :- इस अवधि में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उचन्ती माल की बिक्री रु. 8,36,937/- अवधारित करते हुए 14 प्रतिशत की दर से कर रु. 1,17,171/-एवं धारा 55 के अन्तर्गत ब्याज रु. 12,889/- एवं करारोपण के अपराध में धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति रु. 2,34,343/-आरोपित की गई। सर्वेक्षण के समय पाये गये माल की कीमत रु. 2,17,267/-में 10 प्रतिशत जोडते हुए कुल बिक्री रु. 2,38,924/-मानकर 14 प्रतिशत की दर से कर रु.33,449/-तथा धारा 55 के अन्तर्गत ब्याज रु. 3,679/- एवं धारा 61 के अन्तर्गत कर का दुगुनी शास्ति रु. 66,898/-आरोपित की गई। इसके अतिरिक्त धारा 59 के अन्तर्गत शास्ति रु. 1000/-आरोपित करते हुए कुल रु. 4,35,979/-की मांग सृजित की।

8. उपरोक्त प्रकार से सृजित मांग के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उभय पक्ष की बहस एवं रिकार्ड का अवलोकन के पश्चात निम्न प्रकारर अवधारित किया है :-

8.1 "अपीलार्थी द्वारा इस प्रकरण को अवधिपार होना बताया गया जो कि उचित नहीं है क्योंकि सर्वेक्षण करने एवं रिकार्ड अभिग्रहित करने की दिनांक को अभियोग बनाना **(case made out)** नहीं माना जा सकता बल्कि उस दिनांक को अभियोग बनना माना जायेगा जिस दिनांक को प्रथम बार अपीलार्थी को अभियोग से सम्बन्धित नोटिस जारी किया जावे। इस प्रकरण में जांचकर्ता अधिकारी द्वारा बाद जांच अभियोग वाणिज्यिक कर अधिकारी,प्रतिकरापवंचन,झुञ्जुनू को दिनांक 7.10.2010को कायम करते हुए स्थानान्तरित किया गया एवं दिनांक 7.10.2010 को प्रथम बार अभियोग से सम्बन्धित कारण बताओ नोटिस दिनांक 25.10.2010 के लिए जारी किया गया जो अपीलार्थी को

दिनांक 8.10.2010 को तामील हुआ। प्रकरण का निस्तारण दिनांक 01.04.2010 को किया गया, इस आधार पर प्रकरण अवधिपार नहीं होने से तर्क अस्वीकार किया जाता है।

8.2 सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा नियमानुसार सर्वेक्षण कार्यवाही करते हुए मौके पर पाये गये रिकार्ड को धारा 75(4) में नियमानुसार जब्त किया गया एवं भौतिक सत्यापन रिपोर्ट नियमानुसार तैयार की गई, अतः यह आरोप मान्य नहीं हो सकता कि जांच अधिकारी ने धारा 75 (3) एवं धारा 51 का उल्लंघन किया गया है।

8.3 जहां तक एकतरफा आधार पर ऑडिट कार्यवाही करने का प्रश्न है पत्रावली के आदेश पर अंकित कार्यवाही एवं जारी सम्मन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को ऑडिट कार्यवाही करवाने हेतु उचित अवसर प्रदान किया गया था।

8.4 अपीलार्थी व्यवसायी को एकतरफा ऑडिट रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध नहीं करवाई गई जिससे उसके द्वारा प्रतिपरीक्षण करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त कर निर्धारण एकतरफा पारित हुआ है जो कि न्याय संगत आदेश नहीं है।

8.5 जहां तक अपीलार्थी द्वारा उठाये गये अधिनियम की धारा 3(2) में कम्पोजीशन डीलर पर कर दायित्व सम्बन्धी प्रश्न है, उस पर निर्णय करने से पूर्व अधिनियम के प्रावधानों पर विचार किया जाना आवश्यक है, जो इस प्रकार है :-

कम्पोजीशन का विकल्प प्राप्त व्यवसायी धारा 3(2):- **Notwithstanding anything contained in sub-section(1), a dealer other than that enumerated in clause(a) or clause(b) of section(1), who purchases goods from a registered dealer of the state and sells such goods within the state, may opt payment of tax on his turnover excluding the turnover of the goods specified in schedule I, at the rate as may be notified under sub-section(3) of section 4 subject to the condition that such annual turnover does not exceed rupees fifty lacs in a year.**

धारा -4(3) के अन्तर्गत कर देयता :- **Notwithstanding anything contained in sub-section(1), the tax payable by the dealer covered by sub-section(2) of section 3, shall be levied at the rate not exceeding two percent on the turnover, as may be notified by the State Government.**


9. पैरा संख्या 8 से 8.5 तक में उठाये गये बिन्दुओं पर विस्तृत विश्लेषण करते हुए अपीलार्थी अधिकारी ने निम्न निष्कर्ष दिया है :-

9.1 "उपरोक्त वर्णित पांचों बिन्दुओं में उल्लिखित तथ्यों एवं कानूनी बिन्दुओं से निष्कर्ष निकलता है कि व्यवसायी को बिना प्रतिपरीक्षण का अवसर प्रदान किये एवं व्यवसायी के अधिनियम की धारा 3(2) के अन्तर्गत कम्पोजीशन डीलर होने के बावजूद भी अधिनियम की धारा 4 (3) की बजाय 4(1) के अन्तर्गत 0.50 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत से करारोपण बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये एकतरफा आधार पर पारित आदेश में आरोपित मांग रु. 7,92,785/- एवं रु.

4,35,979/-अनुचित है,जिसे अपास्त करते हुए इन प्रकरणों को सक्षम अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को एकतरफा आधार पर ऑडिट रिपोर्ट उपलब्ध कराते हुए एवं अपीलार्थी व्यवसायी धारा 3(2) के अन्तर्गत पंजीकृत होने के कारण माननीय कर राजस्थान कर बोर्ड के मैसर्स गुरु कृपा एण्टरप्राइजेज,जयपुर बनाम सहायक आयुक्त,प्रतिकरापवंचन - प्रथम, राजस्थान,जयपुर दिनांक 16.08.2011 (टैक्स अप डेट वाल्यूम 31पार्ट-2,2011) जिसमें प्रकरण के तथ्य इस प्रकरणों के तथ्यों से मेल खाते हैं, में दिये गये निर्देशों के अनुसार ही पुनः अनुमानित की गई उचन्ती बिक्री पर अधिनियम की धारा 4(3) के अन्तर्गत अधिसूचित कर दर 0.50 प्रतिशत से करारोपण एवं तदनुसार अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित करते हुए पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करें।”

10. प्रकरणों के समग्र तथ्यों पर विचार करने के पश्चात यह पीठ अनुभव करती है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरणों से सम्बन्धित प्रत्येक बिन्दु विधिक बिन्दु एवं विधिक स्थिति पर विस्तृत विवेचन के पश्चात प्रकरणों को कर निर्धारण अधिकारी को पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है,जिसमें किसी प्रकार की अविधिकता नजर नहीं आती है, क्योंकि प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने पर विभाग को किसी प्रकार की राजस्व की हानि नहीं होती है। अपीलों की सुनवाई के समय राजस्व की ओर से ऐसा कोई दस्तावेजीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है,जिससे अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप की गुन्जाईश प्रतीत होती हो। फलतः अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को यथावत रखते हुए राजस्व की ओर से प्रस्तुत की गई दोनों अपीलों अस्वीकार की जाती है।

11. निर्णय सुनाया गया ।


(शुनील शर्मा)
सदस्य